लय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

ना पत्र सं0 43/2017

नंदा पिता भागीरथ धाकड निवारी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ

बनाम प्रार्थी

1. घीसालाल पिता देबीलाल धाकड निवारी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
2. रतनलाल पिता नंदलाल धाकड निवारी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
3. मेघराज पिता नंदलाल धाकड निवारी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
4. कन्हैयालाल पिता मोडा धाकड निवारी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
5. जयराम पिता मोडा धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
6. भगवानलाल पिता मोडा धाकड निवारी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
7. शंभुलाल पिता भंवरलाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
8. सीताराम पिता मांगीलाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
9. देवीलाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
10. मोहनलाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
11. पन्नालाल पिता भँवरलाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
12. घीसालाल पिता भँवरलाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
13. देबीलाल पिता भँवरलाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक :– 09.07.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदार की कृषि आराजीयात ग्राम बंदेकारामनगर प0ह0 मेघपुरा में आराजी संख्या 306/225 रकबा 0.3320 हैक्टर स्थित हैं। प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आने जाने के लिए विपक्षीगण के खाते की कृषि आराजी संख्या मौजा बंदेकारामनगर प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 157 रकबा 0.4280 हैक्टर, 156 रकबा 0.2020है0, 155 रकबा 0.2110 हैक्टर, 224 रकबा 0.0640 हैक्टर स्थित भूमि में से रास्ता कायम करवाना चाहते है।

आवेदक की आराजी संख्या 152 से आवेदक की आराजी संख्या 306/225 जो पडत बीड थी मे से घास आराजी संख्या 157 के दक्ष्पिाणी पूर्वी कोने से आराजी संख्या 155,156,224 के दक्षिणी सीमा की मेड पर होकर लाजते थे व इसी मेड पर होकर आते जाते थे। प्रार्थी ने अपनी आराजी संख्या 306/225 को अब काश्त योग्य बना देने से कृषि औजार लाने ले जाने का हर समय काम पडता है जिससे आवेदक को आराजी संख्या 152 से 157 के दक्षिणी पूर्वी कोने से होकर आराजी संख्या 156, 155 व 224 की दक्षिणी सीमा पर होकर 12 फिट चौडे रास्ते की आवश्चयता है जो नियमानुसार दिलाया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार फरमावें। प्रार्थी नियमुनसार राशि जमा कराने को तैयार हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण घीसालाल, कन्हैयालाल , शंभुलाल, भगवानलाल , जयराम व देवीलाल उपस्थित आये शेष विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। प्रकरण मे उपस्थित विपक्षीगण द्वारा वाद में न्यायालय में उपस्थिती नहीं दी ना ही कोई जवाब पेश किया। पत्रावली में रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की गई। तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट निम्न आशय की भिवाई गई :--

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

प्रार्थना पत्र में मौजा बंदे का रामनगर पटवार हल्का मेधपुरा की आराजी संख्या 152 से आराजी संख्या 306/225 मे जाने हेतु रास्ता प्रार्थी चाहते है जो आराजी संख्या 157, 156, 155 व 224 मे होते हुए जायेगा। आराजी संख्या 157 में लम्बाई 10मीटर , 156 में 42 मीटर, 155 मे 38 मीटर एवं 224 मे 16 मीटर आती है इसकी चौडाई 4 मीटर है आराजी संख्या 157 मे से 0.004 हैक्टर 156 मी से 0.0168 हैक्टर 155 मे 0.0152 है व 224 मे 0.0064 हैक्टर रकबा बनता है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की रिपोर्ट अंकित की गई है।

रास्ते में आने वाली भूमि के लिए डी.एल.सी. रिपोर्ट अनुसार तहसील राजस्व लेखाकार की टिप्पणी निम्न प्रकार से है:-

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत डोराई अनुसार ग्राम बन्दे का रामनगर प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 157 मे से 40 वर्गमीटर, 156 मे से 168 वर्गमीटर, 155 मे से 152 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 224 मे से 64 वर्गमीटर कुल 424 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

प्रभावित भूमि का मूल्य- डी.एल.सी. 617000/-

डी.एल.सी का दुगुना यानि 1178000गुणा 2 - 1234000/-

वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 155,156, 157 के प्रभावित भूमिधारियो को देय कुल राशि - 1234000/10000 गुणा 360 यानि 44460/- (पूर्णाक में)

क्र.सं.	हिस्सा		आराजी संख्या राशि		नाम खातेदार
1-	155, 156,157	कन्हैयालाल पुत्र मोडा धाकड	1/12	3705	
2-	-"-	जयराम पुत्र मोडा धाकड	1/12	3705	
3-	-"-	नंदूबाई पत्नी स्व. नंदलाल धाकड	1/36	1235	
4-	-"-	पूजा पुत्री घीसालाल धाकड	1/15	2964	
5-	-"-	पायल पुत्री घीसालाल धाकड	1/15	2964	
6-	-"-	भगवानलाल पुत्र मोडा धाकड	1/12	3705	
7-	-"-	मेघराज पुत्र नंदलाल धाकड	1/36	1235	
8-	-"-	रतनलाल पुत्र नंदलाल धाकड	1/36	1235	
9-	-"-	रूपीबाई पत्नी स्व.देवीलाल धाकड	1/15	2964	
10-	-"-	लीलाबाई पत्नी स्व. घीसालाल धाकड	1/15	2964	
11-	-"-	शंभुलाल पुत्र भंवरलाल धाकड	1/3	14820	
12-	-"-	हरिओम पुत्र घीसालाल धाकड	1/15	2964	
		कुल देय राशि :-		44460/-	

वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 224 के प्रभावित भुमिधारको को देय कु राशिः-
1234000/10000गुणा 64 यानि 7902/-

क्र.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1-	224	घीसालाल पुत्र भंवरलाल धाकड	1/6	1317
2-	-"-	देवीलाल पुत्र भंवरलाल धाकड	1/6	1317
3-	-"-	पन्नालाल पुत्र भंवरलाल धाकड	1/6	1317
4-	-"-	प्रतावी बाई पत्नी सीताराम धाकड	1/16	494
5-	-"-	भगवानलाल पुत्र सीताराम धाकड	1/16	494
6-	-"-	भागीरथ पुत्र सीताराम धाकड	1/16	494
7-	-"-	मोहनलाल पुत्र मांगीलाल धाकड	1/4	1975
8-	-"-	सुगनाबाई पुत्री सीताराम धाकड	1/16	494
		कुल देय राशि :-		7902/-

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

इस प्रकार प्रार्थी आवेदक द्वारा मौजा बंदेकारामनगर की आराजी संख्या 155, 156 व 157 लिए कुल देय राशि 44460/— एवं आराजी संख्या 224 के लिए देय राशि 7902/— कुल राशि 52,362 रूपये विपक्षीगण को दिये जाने हेतु राजकोष में दिये जाने पर प्रार्थी उक्त वर्णित विपक्षीगण के खाते की आराजी से रास्ता कायम करा सकते है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस अधिवक्ता प्रार्थी की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस को प्रार्थना के अनुसार ही करते हुए वर्णित आराजीयात में से रास्ता किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में पहुँच के लिए उपरौक्त वैकल्पिक मार्ग के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि बंदेकारामनगर प0ह0 मेघपुरा में आराजी संख्या 306/225 रकबा 0.3320 हैक्टर पर आने जाने के लिए विपक्षीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बंदेकारामनगर की आराजी संख्या 155, 156, 157 से मार्ग में आने वाली कुल भूमि 360 वर्गमीटर के लिए विपक्षीगण को भुगतान किये जाने वाली राशि 44460/— एवं विपक्षीगण की कृषि आराजी भूमि बंदेकारामनगर प0ह0 मेघपुरा में आराजी संख्या 224 से मार्ग में आने वाली कुल भूमि 64वर्गमीटर भूमि के लिए विपक्षीगण को भुगतान किये जाने वाली राशि 7902/— तहसील राजकोष में जमा कराने के उपरान्त मौजा बंदे का रामनगर में स्थित विपक्षीगण के खाते की आराजी संख्या 157 मे लम्बाई 10मीटर, 156 मे 42मीटर 155 मे 38मीटर एवं 224 मे 16मीटर लम्बा व 4मीटर चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार बेगूँ को दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा मार्ग के उपयोग में आने वाली विपक्षीगण की खाते की आराजी के लिए कुल राशि 52,362 रूपये राजकोष में जमा कराने पर ही उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग के लिए राजस्व रिकोर्ड में एवं नक्शा में कायम किया जावें। प्रार्थी द्वारा जमा कराने वाली राशि का भुगतान निर्णय में अंकितानुसार किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को निर्णय की प्रति पालनार्थ दी जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(माधुरी ...)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

दिनांक :– 21.7.25

क्रमांक/सरिश्ता/2025/534

प्रार्थना पत्र संख्या 43/2017 व अनवान नंदा बनाम घीसा वगै. प्रार्थना पत्र अ0धा0 251ए में न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ